BR-0117/2017

पत्रांक–वन भूमि–01/2018...../प0व0

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

ललन प्रसाद सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002.

पटना–15, दिनांक–.....

विषय :– छपरा जिलान्तर्गत सोनपुर–दरिहारा (0.00–39.40 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 44.16 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, छपरा द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार कि अधिसूचना संख्या–190 (ई०) दिनांक–16.02.1994 एवं अधिसूचना संख्या–485 (ई०) दिनांक–15.04.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि 44.16 हे० वन भूमि एवं 3442 वृक्षों के पातन प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव का वानस्पतिक घनत्व शून्य अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, छपरा द्वारा निर्गत दो अलग–अलग क्रमशः 24.15 हे० एवं 20.01 हे० कुल– 44.16 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के लिए FRA, 2006 प्रमाण–पत्र मूल रूप में संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल–44.16 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 88.32 हे० अवकृष्ट वन भूमि को रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के रोहतास प्रक्षेत्र अंतर्गत दो PF यथा कटुडाढ़ (49.00 हे०) एवं तिउरा (41.00 हे०) को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण–पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 44.16 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,76,44,160/– (दो करोड़ छियत्तर लाख चौवालीस हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 44.16 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के रोहतास प्रक्षेत्र अंतर्गत दो अवकृष्ट सुरक्षित वन भूमि कुल 88.00 हे० यथा कटुडढ़ (49.00 हे०) एवं तिउरा (41.00 हे०) को चिन्हित करते हुए दो प्राक्कलन कुल रू० 1,88,20,000/–(एक करोड़ अठासी लाख बीस हजार रूपये) मात्र का प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागर तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि–01/2018....................../प०व०, पटना–15, दिनांक..................................

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार / कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांकः वन भूमि–01/2018 398 (Sl) /प०व०, पटना–15, दिनांक 03/04/18

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

3/4/18
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

VRStg.One72